भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3667
उत्तर देने की तारीख 11.08.2025

बिहार में संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता

3667. श्री अशोक कुमार यादव :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत वर्षों के दौरान संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत बिहार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक बिहार के विभिन्न जिलों को आवंटित राशि का जिला-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या संबंधित परियोजनाओं पर उक्त राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है और यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में कार्य अधूरे हैं अथवा व्यय कम हुआ है; और
(घ) बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों, विरासत स्थलों, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट और अन्य तीर्थ स्थलों अथवा पर्यटन केन्द्रों के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय अपने संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों के माध्यम से अपने अधिदेश अर्थात सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और संरक्षण तथा मूर्त और अमूर्त कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसके कार्यकलाप और कार्यक्रम अनेक व्यापक सांस्कृतिक शीर्षों के अंतर्गत पूरे किए जाते हैं, जैसे पुरातात्विक स्थलों का परिरक्षण और संरक्षण, संग्रहालय और उसकी कलाकृतियाँ, सार्वजनिक पुस्तकालय, मंच कलाओं का प्रचार और प्रसार, बौद्ध और तिब्बती अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध और देश भर में सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण आदि जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है। चूंकि संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित सभी स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं, इसलिए राज्यवार / जिलावार कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। वर्ष 2019-20 से 2023-

24 तक बिहार राज्य में विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों जैसे 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0), स्वदेश दर्शन की उप-स्कीम 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' और 'तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीए)' के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित करता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' की अपनी पहल के तहत बिहार राज्य सहित देश भर में पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। तथापि, पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

(ग): जैसा कि ऊपर बताया गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों (सीएसएस) के अंतर्गत निधियों का राज्यवार/ज़िलावार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, इन स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई निधियों की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) नियम-2017 के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र, सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा-परीक्षित विवरण, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य जैसे फोटो/वीडियो, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों की प्रगति और उचित उपयोग की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल का वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(घ): बिहार में सांस्कृतिक एवं विरासत स्थलों, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और अन्य तीर्थ स्थलों आदि सहित एसडी, एसडी 2.0, सीबीडीडी, प्रशाद, एसीए और एसएएससीआई स्कीमों के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं, जारी राशि/ उपयोगिता हेतु प्राधिकृत राशि और उपयोग की गई राशि का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल के अधिकार क्षेत्र के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित 71 स्मारकों और स्थलों को उनके विरासत महत्व के अनुरूप, उन्हें अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया है। उनके संरक्षण, रखरखाव और सौंदर्यीकरण को और बेहतर बनाने के संबंध में, स्वीकृत वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम (एसीपी) और निधि आवंटन के अनुसार प्रयास किए जाते हैं।

****

अनुलग्नक-I

'बिहार में संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3667 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु. में)
1.	गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	23	151.74	33	181.6	30	190.8	64	363.82	158	697.37
2.	सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान	43	52.18	51	42.94	67	95.26	123	203.2	126	161
3.	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता	1	4.5	1	3	2	7.5	2	8.5	2	8.5
4.	स्टूडियो थियेटर सहित भवन निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-	-	1	0.6	1	6
5.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	39	31.20	29	27.60	23	32.40	31	48.00	47	44.40
6.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम	36	10.80	45	13.50	43	12.90	16	4.80	63	18.90
7.	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15.47

अनुलग्नक-II

'बिहार में संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3667 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बिहार में सांस्कृतिक एवं विरासत स्थलों, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और अन्य तीर्थ स्थलों सहित एसडी, एसडी2.0, सीबीडीडी, प्रशाद, एसीए और एसएएससीआई स्कीमों के तहत बिहार राज्य में संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण :-

स्वदेश दर्शन (एसडी)

क्र. सं.	सर्किट / संस्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई राशि / अधिकृत (करोड़ रु. में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	तीर्थांकर सर्किट 2016-17	मसाढ़-पटना-राजगीर-पावापुरी- चंपापुरी का विकास	33.96	30.04	29.36
2.	आध्यात्मिक सर्किट 2016-17	कांवरिया मार्ग का विकास : सुल्तानगंज -धर्मशाला-देवघर	44.76	42.52	42.17
3.	बौद्ध सर्किट 2016-17	बौद्ध सर्किट का विकास - बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	95.18	95.18	95.18
4.	ग्रामीण सर्किट 2017-18	भितिहरवा - चंदरहिया - तुरकौलिया का विकास	44.27	40.31	40.31
5.	आध्यात्मिक सर्किट 2017-18	मंदार पहाड़ी और अंग प्रदेश का विकास	44.55	42.32	42.32
6.	सड़क किनारे पथ (वे साइड) की सुविधाएं 2018-19	सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार में वाराणसी-गया में सड़क किनारे पथ सुविधाओं का विकास; कुशीनगर-गया-कुशीनगर	17.50	16.63	15.83

स्वदेश दर्शन (एसडी) 2.0

क्र. सं.	संस्वीकृति वर्ष	गंतव्य	अनुभव का नाम	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	प्राधिकृत राशि (करोड़ रु. में)
1	2024-25	बोधगया	बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का विकास	165.44	16.54

चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)

क्र. सं.	संस्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	उपयोग के लिए प्राधिकृत राशि (करोड़ रु. में)
1	2024-25	सोनपुर मेला ग्राउंड, सारण में पर्यटक सुविधाओं का विकास	24.29	2.43

तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति वर्ष	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	पटना साहिब में विकास कार्य	2015-16	29.62	29.62	29.62
2	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में अवसंरचना का विकास	2014-15	3.63	3.63	3.63
3	अंबिका भवानी मंदिर, सारण का विकास	2024-25	13.29	0	0

केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	बक्सर, बिहार में एक्वा स्क्रीन प्रोजेक्शन और साउंड शो के साथ 3डी मैपिंग और राम रेखा घाट, बिहार में डायनामिक लाइटिंग और मोटिफ	बीईसीआईएल	10-06-2024	599.96	59.99

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)

क्र. सं.	गंतव्य	अनुभव का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	निधि जारी करने की स्थिति (करोड़ रुपये में)
1	करमचट	करमचट इको-टूरिज्म और एडवेंचर हब	49.51	97.10
2	सहरसा	मत्स्यगंधा झील का विकास	97.61	

***